न्यायालय श्रीमती नीलिमा तक्षक, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व अपील संख्या : 19/2019 (जीसीएमएस संख्या : 2019/00045)

1. रामकिशोर पुत्र स्व0 श्री लालचन्द, निवासी–बारखेडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. मूलचन्द पुत्र स्व0 श्री लालचन्द, निवासी–बारखेडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
3. मोहनलाल पुत्र स्व0 श्री लालचन्द, निवासी–बारखेडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
4. कैलाश पुत्र स्व0 श्री लालचन्द, निवासी–बारखेडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
5. प्रहलाद पुत्र स्व0 श्री लालचन्द, निवासी–बारखेडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
6. श्रीमति कैली देवी पुत्री स्व0 श्री लालचन्द, निवासी–बारखेडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
7. श्रीमति गंगा देवी पत्नी स्व0 श्री लालचन्द, निवासी–बारखेडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. ग्यारसी देवी पुत्री श्री नानगराम माली, जाति–माली, निवासी– वार्ड नं0 2 कस्बा चाकसू, जिला–जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व आज्ञा तहसीलदार, चाकसू, दिनांक 01.10.2018 नामान्तरकरण संख्या 2511 ग्राम चाकसू पूर्व)

उपस्थितः–
1. श्री रामावतार प्रजापत, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक : 16.08.2023

तहसीलदार, चाकसू द्वारा ग्राम चाकसू पूर्व की आराजी ख0नं0 किता 7 रकबा 0.34 हे0 के खातेदार रामकिशोर मूलचन्द मौहन कैलाश प्रहलाद पुत्र स्व0 श्री लालचन्द कैलीदेवी पत्नी स्व0 लालचन्द गंगा पुत्री स्व0 श्री लालचन्द पत्नी बाबूलाल हि0 1/3 शेष जमा बदस्तूर के स्थान पर ग्यारसी पुत्री नानगराम हि0 1/3 शेष जमा बदस्तुर का नामान्तरकरण स्वीकार किया है जिससे व्यथीत होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

नीलिम

Scanned with OKEN Scanner

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गऐ मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ग्यारसी देवी बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान् अभिभाषक श्री रामावतार प्रजापत का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत बाला–बाला पारित की है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट्स को सुनवाई साक्ष्य का कोई नोटिस/अवसर नहीं दिया जबकि अपीलान्ट्स वादग्रस्त आराजी के रेकार्डेड खातेदार–काश्तकार है। वादग्रस्त आराजी के खातेदार–काश्तकार श्री नानगराम जाति माली थे। नानगराम के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने के कारण अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 6 के पिता व 7 के पति श्री लालचन्द को नानगराम व उसकी पत्नी केसरदेवी ने बाल्यकाल से ही गौद ले लिया था लालचन्द पुत्र धोकलराम को बचपन में ही गौद लिऐ जाने से लालचन्द का पालन–पौषण नानगराम व उसकी पत्नी केसरदेवी ने ही किया और बडा होने पर व नानगराम की मृत्यु होने पर सारे क्रियाकर्म लालचन्द ने किये नानगराम की पगडी भी सामाजिक रीति–रिवाज से आस–पडोस के लोगों व समाज के मौजिज लोगों के समक्ष लालचन्द के बन्धवाई तथा नानगराम की पत्नी श्रीमती केसर देवी ने लालचन्द को अपना दत्तक पुत्र मानते हुऐ अपने पति के नाम आराजी खसरा नम्बर 1138, 1145, 1158 कुल किता 3 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा कस्बा चाकसू का विरासत का नामान्तरकरण लालचन्द के नाम खुलवाने की सहमति देते हुऐ दिनांक 14.12.1979 को कानूनन रूप से पूरी जांच प्रक्रिया अपनाते हुऐ तहसीलदार द्वारा विरासत का नामान्तरकरण लालचन्द के नाम खोला गया परन्तु नामान्तरकरण खोले जाने के तकरीबन 32 वर्ष बाद रेस्पोडेन्ट व उसकी मां केसरदेवी ने एक वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह कहते हुऐ पेश किया कि प्रतिवादी अर्थात लालचन्द द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिली–भगत कर अपने नाम नामान्तरकरण खुलवा लिया जो शुन्य व अप्रभावी है। दिनांक 27.06.2011 को वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुऐ वादीगण व प्रतिवादी अर्थात लालचन्द के नाम तीनों के बराबर 1/3, 1/3 का खातेदार घोषित कर दिया लेकिन दौराने दावा लालचन्द की मृत्यु हो गई जिसके कारण लालचन्द के वारिसान ने निर्णय दिनांक 27.06.2011 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की जो अपील सं0

Scanned with OKEN Scanner

319/2011 पर दर्ज हुई साथ ही प्रत्यर्थी व उसकी मां केसरदेवी द्वारा भी उक्त आदेश दिनांक 27.06.2011 के विरूद्ध अपील पेश की जो अपील सं0 377/2011 पर दर्ज हुई। जिसका निर्णय दिनांक 29.09.2011 को किया गया। इसी प्रकार निर्णय दिनांक 29.09.2011 की माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में द्वितीय अपील की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील की गई तथा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध डी बी में अपील की गई। डी बी में राजस्व कोर्ट के सभी निर्णय निरस्त कर अपीलान्ट को सिविल कोर्ट में जाने की स्वतन्त्रता दिऐ जाने पर अति0 सिविल जज (क0ख0) जयपुर महानगर जयपुर के यहा एक दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 11.06.2016 को वादग्रस्त आराजी की यथास्थिति के आदेश दिऐ गऐ इस आदेश की अपील किये जाने पर दिनांक 01.09.2018 को अपीलेट न्यायालय ने आज्ञा दिनांक 11.06.2016 को निरस्त किया तत्पश्चात् अपीलान्ट्स द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में आज्ञा दिनांक 01.09.2018 के विरूद्ध रिट पिटीशन कर दी जिसमें दिनांक 30.10.2018 को प्रत्यर्थी को किसी अन्य पक्षकार के अधिकार सृजित नहीं करने के आदेश पारित कर दिऐ इसी मध्य दिनांक 26.09.2018 को प्रत्यर्थी के पक्ष में नामान्तरकरण भरकर प्रस्तुत किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर का दावा पेंडिंग रहने के दौरान नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिऐ थी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जावे अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 01.10.2018 नामान्तरकरण सं0 2511 निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान के अनुरूप स्वीकार की गई है। अपीलाधीन आज्ञा विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के फलस्वरूप की जाने वाली कार्यवाही के अन्तर्गत स्वीकार की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 01.10.2018 नामान्तरकरण संख्या 2511 यथावत रखे जाने के आदेश दिऐ जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रथम तो यह जाहिर होता है कि जिन अपीलान्ट्स की खातेदारी दूसरे व्यक्तियों को हस्तान्तरित की जा रही है तो आराजी के खातेदार–काश्तकारान को नोटिस दिया जाना न्यायसंगत है, विचारण प्रकरण में नोटिस अपीलान्ट्स को सुनवाई/साक्ष्य का नोटिस/अवसर नहीं दिया गया है, जिसे न्यायोचित

नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरे यह कि दावे के लम्बित रहने के दौरान नामान्तरकरण की कार्यवाही सैद्धान्तिक रूप से स्थगित रखी जानी चाहिऐ परन्तु दावे की कार्यवाही के दौरान नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 01.10.2018 नामान्तरकरण संख्या 2511 ग्राम चाकसू पूर्व निरस्त की जाती है और प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई साक्ष्य का नोटिस/समुचित अवसर देकर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2023 को टंकित कराया जाकर हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

नीलिमा

(नीलिमा तक्षक)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner